न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 97/2019

एल.एस.सी. इंफ्राटेक लिमिटेड कम्पनी जरिये विजयकुमार सिंह पुत्र भानूप्रताप सिंह जाति राजपूत हाल निवासी ग्राम घाटरी तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 14.07.2016 व मुकदमा रिपोर्ट पटवारी घाटरी बनाम एल.एस.सी. इन्फ्राटेक लिमिटेड कम्पनी मि0न0 11/2016 कार्यवाही अन्तर्गत 90(ए) भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 27.10.2021

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 14.07.2016 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 90(ए) भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को ग्राम घाटरी की आराजी खसरा नम्बर 11, 12 रकवा 21 वीघा 4 विस्वा ग्राम घाटरी में से 19 वीघा पर पक्का माल डालकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

बिना भूमि रूपान्तरण कराये कृषि भूमि का अकृषि भूमि में उपयोग करने पर बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यो के विपरीत निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 11, 12 कृषि भूमि है तथा उसमें कृषि कार्य ही होता है उसके किसी भी हिस्से को अकृषि कार्य के लिये उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया है कि अकृषि कार्य में किस नम्बर से रकवा 4 वीघा 07 विस्वा को लिया गया है। अपीलान्ट ने अपना केसर आराजी खसरा नम्बर 9 में स्थापित किया है जो नियमानुसार भूमि संपरिवर्तन कराकर किया है तथा उसी में अपना कच्चा पक्का माल रखा जाता है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस का जबाब दिया गया था उसमें मौके पर नाप कर अकृषि में परिवर्तित भूमि को अवगत कराने के लिये लिखकर दिया गया था परन्तु मौके पर इस प्रकार की कोई कार्यवाही एवं जांच किये बिना मात्र पटवारी की गलत रिपोर्ट पर विस्वास कर इकतरफा आदेश पारित कर दिये। रिपोर्ट पटवारी की ताइद में पटवारी के बयान भी नहीं लिये और अपीलान्ट को साक्ष्य भी प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया गया। अपीलान्ट को अपना माल हटाने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये। राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.10.2016 के अनुसार कृषक एक एकड भूमि तक अपनी खातेदारी की भूमि को लघु उद्योग के कार्य में बिना संपरिवर्तन कराये काम में ले सकता है, इससे भूमि की किस्म नहीं बदलती है, भूमि कृषि भूमि ही मानी जावेगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश का पता दिनांक 05.11.2019 को पटवारी हल्का के द्वारा बताने पर हुआ। दिनांक 06.11.2019 को इसका तहसील में जाकर पता लगाया व उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र दिया जिस पर नकल तैयार होने पर दिनांक 08.11.2019 को नकल प्राप्त की तब उसे पढकर असल जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 90(ए) के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार ने अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

14.07.2016 द्वारा एल.एस.सी. इन्फ्राटेक कम्पनी के आराजी खसरा नम्बर 11, 12 रकवा 21 वीघा 4 विस्वा खातेदारी भूमि का बिना रूपान्तरण कराये अकृषि प्रयोजन के काम में लेने के कारण बेदखल किये जाने एवं गैर रूपान्तरण भूमि पर पडे मलवे को कब्जे राज लेने के आदेश दिये गये है। मुताबिक जमाबन्दी संवत 2072–75 आराजी खसरा नम्बर 11 रकवा 8 वीघा 13 विस्वा ग्राम घाटरी पर मै0 लालकुआ स्टोन केसर लिमि. पंजीकृत कार्यालय कम्पाउण्ड कुमार आक्सीजन लिमि. रामपुर रोड रूद्रपुर जिला उद्यमसिंह नगर उत्तराखण्ड द्वारा मैनेजर के.एस. चौहान पुत्र राजवीर सिंह चौहान कौम राजपूत निवासी आनन्द नई दिल्ली–92 खातेदार इ.न. 1295 रहन 1315 रहन फरू 1318 वय एवं आराजी खसरा नम्बर 12 रकवा 12 वीघा 11 विस्वा पर मै0 लालकुआ स्टोन केसर लिमि. पंजीकृत कार्यालय कम्पाउण्ड कुमार आक्सीजन लिमि. रामपुर रोड रूद्रपुर जिला उद्यमसिंह नगर उत्तराखण्ड द्वारा मैनेजर अनिल कुमार पुत्र शेखर दयाल अग्रवाल 1/3 कौम वैश्य निवासी हापुड उत्तर प्रदेश, मै0 लालकुआ स्टोन केशर लिमि. पंजीकृत कार्यालय कम्पाउण्ड कुमार आक्सीजन लिमि. रामपुर रोड रूद्रपुर जिला उद्यमसिंह नगर उत्तराखण्ड द्वारा मैनेजर के.एस. चौहान पुत्र राजवीर सिंह चौहान 2/3 कौम राजपूत निवासी आनन्द बिहार नई दिल्ली–92 खातेदार इ.न. 1344 रहनफक 1319, 1340 वय के नाम दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में एल.एस.सी. इन्फ्राटेक लिमि. द्वारा प्रस्तुत जबाब में रूपान्तरण कराये जाने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14.07.2016 में आ.ख.न. 9 को रूपान्तरण किये जाने का अंकन किया गया है परन्तु अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 11, 12 के सम्पूर्ण रकवे को केशर के काम में लिये जाने के संबंध केवल एल.एस.सी. इन्फ्राटेक लिमि. को ही सुना गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रकवा के सभी खातेदारों को भी सुना जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत पक्षकारों को नहीं सुना है और न ही पटवारी हल्का के बयान आदि लिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नही है। उक्त प्रकरण में पक्षकारों को विधिवत

अतिरिक्त जिला कलक्टर

सुनवाई का अवसर देते हुये एवं विधिवत जॉच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार निर्णय किये जाने हेतु तहसीलदार भुसावर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार तहसीलदार भुसावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार भुसावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि वे पक्षकारो को सुनवाई, साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर देकर जॉच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ तहसीलदार भुसावर से प्राप्त तहत पत्रावली वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)